उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

11/3/26 पत्रावली पेश। वकील वादी उप० आये। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि स्टेट अर्जी [illegible] में लिया जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली की नकल उजरा की नम्बर से कार्यवाही कर पत्रावली [illegible] लेखा नक्शा में शामिल हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या 72 / 2022	दायर दिनांक 05.05.2022	निर्णय दिनांक 11.03.2026

बउनवान

1. राजबाला पत्नी जसराम जाति अहीर निवासी गादली की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. भौरी देवी पत्नी राजवीर
2. सुमन कंवर पुत्री राजवीर जातियान राजपूत निवासीयान गादली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज मय हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 मय 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी वकील – श्री रणवीर सिंह यादव

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल ख० नं0 479 रकबा 0.13 हैक०, वाके ग्राम गादली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिसका 1/6 भाग वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि आराजी हाल खं० 479 सम्वत् 2070 2073 के भूप्रबंध के पूर्व साबिक ख० नं0 394 से पैमूद हुआ है।
3. यह है कि आराजी साबिक ख0 नं0 80 रकबा 0.68 है0, ख0 नं0 394 रकबा 0.13 है0, वाके ग्राम गादली तहसील मुण्डावर पूर्व खातेदार राजवीर पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निबासी गादली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी रहीं है।
4. यह है कि आराजी साबिक ख0 नं0 80 रकबा 0.68 है0, ख0 नं0 394 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम गादली के खातेदार राजवीर पुत्र श्री मोहनसिंह से वादीया ने रजिस्टर्ड बैयनामा 1/6 भाग दिनांक 16/03/2003 को बएवज प्रतिफल एवं बाकब्जा खरीद किया और वक्त खरीद ही आराजी मुतनाजा पर विक्रेता के स्थान पर खातेदार की हैसियत से काबिज होकर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

के आधार पर आराजी का ...

Scanned with OKEN Scanner

काश्त करने लग गयी जो आज तक बदस्तूर काबिज चली आ रही है एवं वादीया आराजी के भौतिक कब्जे में है।

5. यह है कि आराजी ख0 नं0 साबिक 80 व 394 का बैयनामा वादीया के पक्ष में होने के बाद वादीया ने बैयनामा की नकल हल्का पटवारी को वास्ते इंतकाल दर्ज करने के लिये दे दिया था और मौके पर ले लिया और काश्त करने लग गयी बैयनामा के आधार पर आराजी का इंतकाल वादीया के पक्ष में इंतकाल सं0 301 दर्ज व मंजूर कर दिया गया परन्तू इंतकाल सं० 301 दर्ज करते समय साबिक ख0 नं0 394 (हाल 479) को इंतकाल कार्यवाही में छोड दिया गया इंतकाल सं0 301 केवल साबिक ख0 नं0 80 का ही वादीया के नाम दर्ज किया गया और खसरा नम्बर साबिक 394 में से 1/6 भाग का इंतकाल दर्ज नहीं किया गया।

6. यह है कि इंतकाल सं0 301 दिनांक 05/09/2003 को दर्ज करते हुये वैयनामा की असल कोपी पर इंतकाल सं0 301 लिखकर वादीया को वापिस लौटा दिया और वादीया को कह दिया कि आपके पक्ष में इंतकाल दर्ज हो चुका है। वादीया मौके पर काबिज होकर काश्त करती रही और मौके पर कोई विवाद नहीं होने के कारण कभी राजस्व रिकोर्ड देखने का अवसर नहीं मिला और इस तथ्य की जानकारी नहीं हो सकी कि खसरा नम्बर साबिक 394 के 1/6 भाग का इंतकाल वैयनामा दिनांक 16/03/2003 के आधार पर दर्ज नहीं किया गया है।

7. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीया की खरीद शुदा कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है खातेदार काबिज काश्तकार राजवीर पुत्र मोहन जाति राजूपत से खरीद की गयी है अब पूर्व खातेदार राजवीर फौत हो गये है विरासत राजवीर मृतक की प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज व मंजूर हो चुकी है इसलिये उनके खिलाफ और उनके हिस्से तक ही वादीया का अनुतोष है इसलिये उन्हे वाद में प्रतिवादीगण की जद में पक्षकार बनाया गया है, शेष सहखातेदारान एवं उनका हिस्सा 5/6 के खिलाफ कोई अनुतोष वादीया नहीं चाहती है एवं वादीया के वाद एवं वाद के निर्णय एवं अन्य सहखातेदार के अधिकार व हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। इसलिये उन्हे वाद में आवश्यक पक्षकार नही होने के कारण वाद में पक्षकार नहीं बनाया है।

8. यह है कि दिनांक 29/12/2021 को वादीया के पति ने पटवारी हल्का से क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतू सम्पर्क किया और राजस्व रिकोर्ड की नकले लेनी चाही तो जानकारी मिली की साबिक ख० नं0 394 का इंतकाल ही वादीया के नाम दर्ज नहीं हुआ आराजी मुतनाजा राजस्व रिकोर्ड में अभी विक्रेता के वारिसान के नाम दर्ज हो रही है इस पर वादीया ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया और बताया कि आपके पिता व पति द्वारा कराये गये बैयनामा वाली आराजी ख० नं0 394 अभी आपके नाम दर्ज हो रही है उसे दुरूस्त कराकर हमारे नाम करावो तो कहा कि हमें इस तथ्य

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

की अभी तक जानकारी नहीं थी आप अपने स्तर से दुरूस्त करा लेवे इस पर वादीया ने प्रतिवादी सं0 3 से सम्पर्क किया तो बताया कि अभी प्रशासन गांव के संग अभियान में आप प्रार्थना पत्र पेशकर दुरूस्त करा लेना इस पर वादीया ने प्रार्थना पत्र भी लगाया परन्तू प्रतिवादीगण चक्कर लगवाते रहे और अब दिनांक 21/04/2022 को दुरूस्ती अदालत श्रीमान से आदेश लाने पर किये जाने की बात कहकर इंकार कर दिया अंब प्रतिवादीगण को आराजी उनके नाम होने की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को विक्रय के लिये गांव में लोगो से मोल भाव कराने लग गये और आराजी को विक्रय करने की पूरी पूरी आशंका हो गयी है यदि प्रतिवादीगण ने आराजी को पुनः बेचान कर दिया तो वादीया को अजहद व अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये हु0 ई0 दवामी के इस अमर से पाबंद किया जावे कि दौराने दावा आराजी को कहीं रहन बैय हिवा आदी से मुन्तकिल ना करे।

9. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीया की जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के बाकब्जा व बएवज प्रतिफल खरीद शुदा है, उक्त माग पर वक्त खरीद से काबिज एंव दखिल है इसलिये आराजी हाल ख0 नं0 479 रकबा 0.13 है, वाके ग्राम गादली तहसील मुण्डावर के 1/6 भाग की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकोर्ड से प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम कलमजन किये जाकर वादीया के नाम का अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

10. यह है कि दिनांक 29/12/2021 को वादीया के पति ने पटवारी हल्का से क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतू सम्पर्क किया और राजस्व रिकोर्ड की नकले लेनी चाही तो जानकारी मिली की साबिक ख0 नं0 394 का इंतकाल ही वादीया के नाम दर्ज नहीं हुआ आराजी मुतनाजा राजस्व रिकोर्ड में अभी विक्रेता के वारिसान के नाम दर्ज हो रही है इस पर वादीया ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया और बताया कि आपके पिता व पति द्वारा कराये गये वैयनामा वाली आराजी ख० नं0 394 अभी आपके नाम दर्ज हो रही है उसे दुरूस्त कराकर हमारे नाम करावो तो कहा कि हमें इस तथ्य की अभी तक जानकारी नहीं थी आप अपने स्तर से दुरूस्त करा लेवे इस पर वादीया ने प्रतिवादी सं० 3 से सम्पर्क किया तो बताया कि अभी प्रशासन गांव के संग अभियान में आप प्रार्थना पत्र पेशकर दुरूस्त करा लेना इस पर वादीया ने प्रार्थना पत्र भी लगाया परन्तू प्रतिवादीगण चक्कर लगवाते रहे और अब दिनांक 21/04/2022 को दुरुस्ती अदालत श्रीमान से आदेश लाने पर किये जाने की बात कहकर इंकार कर दिया अब प्रतिवादीगण को आराजी उनके नाम होने की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को विक्रय के लिये गांव मे लोगो से मोल भाव कराने लग गये और आराजी को विक्रय करने की पूरी पूरी आशंका

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

हो गयी है। बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

11. यह है कि मिन वादीया के अधिकार सुरक्षित है, और वाद में बैलेन्स ऑफ कन्वीनेंश तथा प्राईमाफेसाई केस भी मिन वादीया के पक्ष में साबित है. इसलिये मिन वादीया प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने की अधिकारी है।

12. यह है कि उक्त वाद में प्रतिवादीगण सं० 3 व 4 के खिलाफ दावा दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस देना आवश्यक था लेकिन प्रतिवादीगण आपस में साज बाज होकर उक्त आराजी को दीगर जगह रहन बैय मुन्तकिल करने पर उतारू है, जिस कारण दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस के अभाव में ही दावा दायर किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र 80 (2) जाप्ता दिवानी अलग से संलग्न वाद है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकर डिकी फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक बम्य दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की फरमायी जावे कि आराजी हाल ख0 नं0 479 रकबा 0.13 हैक०, वाके ग्राम गादली तहसील मुण्डावर के 1/6 भाग की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकोर्ड से प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम कलमजन किये जाकर वादीया के नाम का अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

(ब) यह करार दिया जावे कि प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि उक्त आराजी हाल ख0 नं0 479 रकबा 0.13 है0, वाके ग्राम गादली तहसील मुण्डावर में स्थित है को प्रतिवादीगण दौराने दावा आराजी को कहीं रहन बैय हिबा आदी से मुन्तकिल ना करे ना वादीया के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करे राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(स) अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो बख्शी जावे ।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, बाद तामिल प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से श्री अमित चौधरी वकील ने वकालतनामा पेश किया गया। कई अवसर प्रदान करने उपरान्त भी जबाव प्रस्तुत नही किया गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का जबाव बन्द किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 हाल जमाबन्दी सम्वत 2078, प्रदर्श–2 इन्तकाल सख्या 301 वाके ग्राम गादली, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2069–72 पेश किया गया।

लिखित बहस वादीया की और से निम्न पेश है।

1. यह है कि वाद में विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 80/0.68 है0, एवं 394/0.13 है0, वाके ग्राम गादली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है जिनके 1/6 भाग का खातेदार काबिज काश्तकार राजवीरसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह राजपूत निवासी गादली तहसील मुण्डावर रहा है।
2. यह है कि राजवीरसिंह ने घरेलू आवश्यकता के लिये उपरोक्त आराजी का विकय रजिस्टर्ड बैयनामा के जरिये दिनांक 16/03/2003 को बएवज प्रतिफल मुबलिंग 52,409 रूपयें में बाकब्जा के वादीया को कर दिया था उक्त बैयनामा के आधार पर पटवारी हल्का ने भूलवश एक ख० नं० 80/0.68 है0, में से खरीद शुदा 1/6 भाग का इंतकाल वादीया के नाम दर्ज कर दिया एवं तत्तकालीन ख0 नं0 394 रकबा 0.13 है0, के 1/6 भाग का इंतकाल दर्ज करने से रह गया और आराजी विक्रेता राजवीर के नाम दर्ज रह गयी जब राजवीर फौत हुआ तो विरासत उसके वारिसान भौरी देवी पत्नी व सुमन कंवर पुत्री के नाम दर्ज हो गयी और वर्तमान में साबिक ख0 नं0 394 (हाल ख0 नं0 479) रकबा 0.13 है0, प्रतिवादी भौंरी देवी व सुमन कंवर के नाम दर्ज है इसलिये वादीया को बैयनामा के आधार पर इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज का वाद पेश करना लाजिमी आया है।
3. यह है कि वादीया ने वाद दायर कराकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कराकर प्रोपर तामील होने पर प्रतिवादी हाजिर अदालत आकर पैरवी हेतू अधिवक्ता नियुक्त किया लेकिन प्रतिवादी के पास कोई प्रतिरक्षा का आधार नहीं होने से दावा का जवाब पेश नहीं किया और वाद वादीया को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया एवं वाद में पैरवी नहीं कर गैर हाजरी दर्ज करा ली।
4. यह है कि वादीया दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अपने वाद को साबित किया है कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 394 हाल 479 रकबा 0.13 है0, वाके ग्राम गादली के 1/6 भाग का बैयनामा राजवीर पुत्र मोहनसिंह राजपूत निवासी गादली ने दिनांक 16/03/2003 को वादीया के पक्ष में तस्दीक कराया है मौके पर कब्जा वादीया का है वादीया काबिज होकर काश्त कर रही है केवल मानवीय भूल से इंतकाल दर्ज होने से रह गया है जिसके बाबत प्रतिवादी का कोई उज्ज नहीं है इसलिये वादीया को आराजी हाल ख० नं0 479 रकबा 0.13 है0, वाके ग्राम गादली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान के 1/6 भाग की खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

घोषित किया जावे एवं इसी कदर राजस्व रिकोर्ड से प्रतिवादी के नाम कलमजन किये जाकर वादीया के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अतः लिखित बहस पेश कर वादीया का वाद डिकी किये जाने की कृपा करे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

संक्षिप्त विवेचन

प्रकरण का अवलोकन करने पर यह तथ्य परिलक्षित होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर साबिक 394 (हाल 479) रकबा 0.13 हैक्टेयर, ग्राम गादली तहसील मुण्डावर की है, जिसका 1/6 भाग वादीया द्वारा पूर्व खातेदार राजवीर पुत्र मोहनसिंह से दिनांक 16.03.2003 को पंजीकृत बैयनामा के माध्यम से प्रतिफल देकर खरीदा गया। वादीया के कथनानुसार खरीद के समय से ही वह उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है।

रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त बैयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 301 दिनांक 05.09.2003 दर्ज किया गया, परन्तु उस समय मानवीय त्रुटि के कारण साबिक खसरा नम्बर 394 (हाल 479) के 1/6 भाग का इंतकाल दर्ज नहीं किया गया, जबकि उसी बैयनामा के आधार पर साबिक खसरा नम्बर 80 में से खरीदे गये भाग का इंतकाल वादीया के नाम दर्ज कर दिया गया। परिणामस्वरूप खसरा नम्बर 394 का भाग राजस्व अभिलेखों में विक्रेता राजवीर के नाम ही दर्ज रहा तथा बाद में उसकी मृत्यु के उपरान्त विरासत उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गयी।

वाद में प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को विधिवत तामील करवाई गई तथा उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से वकालतनामा पेश किया, किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः उनका जवाब बन्द किया गया। इससे वादी के कथनों का प्रभावी खण्डन नहीं हो पाया।

वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2078, इन्तकाल संख्या 301 तथा पूर्ववर्ती जमाबन्दी सम्वत 2069–72 आदि दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। प्रस्तुत अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि वादीया द्वारा विवादित आराजी का क्रय विधिवत पंजीकृत बैयनामा के माध्यम से किया गया था तथा केवल राजस्व अभिलेख में त्रुटिवश संबंधित खसरे के भाग का इंतकाल दर्ज होने से रह गया।

अतः समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों एवं वादी की अप्रमादित कथनों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 479 रकबा 0.13

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर के 1/6 भाग पर वादीया का वैध अधिकार स्थापित होता है तथा राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण के नाम का अंकन मात्र तकनीकी त्रुटि के कारण बना हुआ है, जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय एवं पर्याप्त होने से वादी का दावा स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, अभिलेखीय साक्ष्य, दस्तावेजात एवं लिखित बहस का अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादीया का वाद धारा 88, 89 सहपठित धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है। वादीया राजबाला पत्नी जसराम को आराजी खसरा नम्बर 479 रकबा 0.13 हैक्टेयर, ग्राम गादली के 1/6 भाग की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण के नाम हटाकर वादीया के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री तदनुसार तैयार की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
72 / 2022	05.05.2022	11.03.2026

बउनवान

1. राजबाला पत्नी जसराम जाति अहीर निवासी गादली की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. भौरी देवी पत्नी राजवीर
2. सुमन कंवर पुत्री राजवीर जातियान राजपूत निवासीयान गादली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज मय हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 मय 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकट व** प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 11.03.2025** को **सृष्टि जैन उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :–**

वादीया राजबाला पत्नी जसराम को आराजी खसरा नम्बर 479 रकबा 0.13 हैक्टेयर, ग्राम गादली के 1 / 6 भाग की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण के नाम हटाकर वादीया के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/3/26	पत्रावली पेश वकील पुकार उपस्थित वादी का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible] है [illegible] चूंकि इस पत्रावली कि [illegible] कार्यवाही [illegible] दर्ज कि जाती है पत्रावली बाद फैसला सुनाया नम्बर से कम कर पत्रावली जिला लेखागार में शामिल हो उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)